

26.06.2018

राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :- श्री जे०एन०मथुरिया(आर०ए०एस०)

आर.सी.एम.एस 2010 / 00014

अपील संख्या 90 / 2010 (223 आर.टी.एक्ट)

उनवान:- रामेश्वर सुन्दर बनाम नवल

पत्रावली पेश हुयी। वकील अपीलार्थी एवं तरतीबी पक्षकारान उपस्थित। मूल प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं। एक पक्षीय बहस सुनी गयी। दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने प्रकट किया कि विवादित आराजी विक्रय हो चुकी है। अधीनस्थ न्यायालय में कही भी पुष्टतैनी सम्पत्ति के आधार पर वाद प्रस्तुत नहीं हुआ है। विक्रय का तथ्य उभयपक्ष स्वीकार करते है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने प्रत्यर्थी का वाद स्वीकार कर लिया है। अतः विक्रय के आधार पर कंतागण के बीच बंटवारे हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे। किसी प्रकार के बचाव के अभाव में अपीलार्थी का कथन सवीकार योग्य प्रकट होता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश अपास्त किया जाता है। एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि हक के आधार पर पक्षकारान के बीच विभाजन की अग्रिम कार्यवाही की जावे। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 14.08.18 को उपस्थित होवे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे एवं वाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया।

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official